न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 147/2023

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर :– 2023/260

प्रार्थीगण

1. प्रेमराज आसेरी पुत्र भवंरलाल निवासी कमला नेहरू नगर जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. पुष्पा देवी पत्नी सोहनराम
2. संजुदेवी पत्नी श्रवित कुमार निवासी मेडती गेट जोधपुर जिला जोधपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955

अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री विशनाराम सिद्वप।
2. अप्रार्थीगण 1 एवं 2 अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णयः–

दिनांक :– 8/5/24

प्रार्थीगणों के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :–

प्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि ग्राम तोलेसर चारणा पटवार क्षेत्र कोनरी तहसील बालेसर जिला जोधपुर मे स्थित है जिसके खसरा नम्बर 164 रकबा 1.7240 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम है। प्रार्थी अपने खेत मे कृषि कार्य करने व आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 165 रकबा 0.8417 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम से करते है। उक्त रास्ता आगे जोधपुर–जैसलमेर हाईवे से मिलता है। प्रार्थी अपने खेत मे आने–जाने हेतु उक्त रास्ते से आवागमन करते है इस रास्ते के अलावा नजदीक अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के खेत मे आने–जाने हेतु उपलब्ध नही है। प्रार्थीगणों द्वारा खसरा नम्बर 165 की भूमि मे से 30 फिट कटाणी रास्ता घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया एवं तहसीलदार बालेसर से मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार बालेसर द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2024/308 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा भू.अ. निरीक्षक आगोलाई एवं हल्का पटवारी कोनरी की मौका रिपोर्ट दिनांक 25.01.2024 न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

भू.अ. निरीक्षक आगोलाई एवं हल्का पटवारी कोनरी की मौका रिपोर्ट दिनांक 25.01.2024 के अनुसार प्रार्थी के खेत मे आने–जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। खेत खसरा नम्बर 165 मे से ही पैदल आना–जाना करते है। प्रार्थी द्वारा वांछित एवं प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं लघुतम रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित एवं प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा एवं पक्का निर्माण किया हुआ नही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते मे ग्राम तोलेसर चारणान के खसरा नम्बर 165 मे से 12 बिस्वा 09 बिस्वांशी भूमि जायेगी। उक्त खसरा की भूमि की वर्तमान डीएलसी 91536 रूपयें प्रति बीघा है। डीएलसी दर की दो गुणा राशि 0.12.09 बीघा X 91536 X 2 = 1,17,569 रूपयें बनती है। भू.अ. निरीक्षक आगोलाई एवं हल्का पटवारी कोनरी की मौका रिपोर्ट दिनांक 25.01.2024 संलग्न नक्शा प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.24 11:31:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगणो को नोटिस जरिये रजि. ए.डी. से प्रेषित करते हुए रसीदें न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई जिससे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगणा को न्यायालय मे उपस्थित होने हेतु अवसर दिया गया अप्रार्थीगण न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर अप्रार्थीगणा के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
बालेसर

मूल प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू.अ. निरीक्षक आगोलाई एवं हल्का पटवारी कोनरी की मौका रिपोर्ट दिनांक 25.01.2024 का अवलोकन किया गया। उक्त मौका रिर्पोट में प्रार्थी द्वारा चाहे गया रास्ता लघुतम एवं निकटतम दर्शाया गया है। अतः प्रार्थी के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थी की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 165 मौजा तोलेसर चारणान, पटवार हल्का कोनरी, तहसील बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण में चाहे गए रास्ता भू. अ. निरीक्षक आगोलाई एवं हल्का पटवारी कोनरी की मौका रिपोर्ट दिनांक 25.01.2024 में प्रस्तुत नक्शे में दर्शाये खसरा नम्बर 165 मे 0.12.09 बीघा तक को 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। भू.अ. निरीक्षक आगोलाई एवं हल्का पटवारी कोनरी की मौका रिपोर्ट दिनांक 25.01.2024 को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थी द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान अप्रार्थीगणों को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है।

निर्णयानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना भू.अ. निरीक्षक आगोलाई एवं हल्का पटवारी कोनरी की मौका रिपोर्ट दिनांक 25.01.2024 मे अंकित खसरा नम्बर 165 मे से प्रस्तावित रकबा 0.12.09 बीघा का डीएलसी दो गुणा राशि या निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना तहसीलदार एवं उप पंजीयक, बालेसर करते हुए जो राशि सर्वाधित हो वह राशि प्रार्थीगणों द्वारा सम्बन्धित अप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि सम्बन्धित अप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार बालेसर द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते है तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी जिसे तहसीलदार द्वारा सम्बन्धित अप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। इसके पश्चात् भी अप्रार्थीगणो द्वारा राशि लेने से मना किया जाता है तो तहसीलदार उक्त राशि को नियमानुसार राजस्व मद मे जमा करवाने की कार्यवाही करेगे।

खसरा नम्बर 165 मे से प्रस्तावित रकबा 0.12.09 बीघाभूमि के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगणो को इस प्रकार दर्ज उक्तानुसार भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे।

रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश आज दिनांक 8/4/2024 को दिए जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार बालेसर को तहरीर जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामजी भाई कलबी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2024.05.24 11:31:48 IST
Reason: SelfAttested